इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल 2019—चैत्र 15, शक 1941

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2019

क्र. एफ 5-12-2017-अ-तिहत्तर.—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (क्रमांक 27 सन् 2006), की धारा 21 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 30 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य

सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद् नियम, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 8 में,—

1. उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए,

अर्थात् :—

"(5) अध्यक्ष, सुलह कार्यवाहियां संचालित करने के लिये सुलहकर्ता के रूप में एक या अधिक सदस्यों को नियुक्त कर सकेगा."

2. उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़े जाएं, अर्थात् :—

"(6) मध्यस्थता कार्यवाहियां संचालित करने के लिये, गणपूर्ति दो सदस्यों से होगी. यह और भी कि परिषद् स्वविवेक से मध्यस्थता कार्यवाहियां संचालित करने के लिये परिषद् का भाग गठित करने वाली एक से अधिक पीठ का गठन कर सकेगी.

(7) उपरोक्त में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सदस्य या सदस्यों जिसने/जिन्होंने सुलहकर्ता (सुलहकर्ताओं) के रूप में कार्यवाही की हों, मध्यस्थता को संचालित करने वाली गणपूर्ति का हिस्सा नहीं होगा/होंगे, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न दी गई हों."

No. F 5-12-2017-A-73.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 30 read with sub-section (3) of Section 21 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (No. 27 of 2006), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Micro and Small Enterprises Facilitation Council Rules, 2017, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 8,—

1. For sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(5) The Chairperson may appoint one or more members as Conciliator for conducting conciliation proceedings."

2. After sub-rule (5), the following sub-rules shall be added, namely :—

"(6) for conducting arbitration proceedings, the quorum shall be of two members. Further the council may at its discretion constitute more than one bench forming part of the council for conducting arbitration proceedings.

(7) Notwithstanding anything contained above, any member or members who have acted as a conciliator(s) shall not be part of the quorum conducting arbitration, unless otherwise agreed by the parties."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019